सप्तदश बिहार विधान सभा

एकादश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-23.02.2024 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री आलोक रंजन, स०वि०स० श्री कुमार शैलेन्द्र, स०वि०स० श्री विनय कुमार चौधरी, स०वि०स० श्री ललित नारायण मंडल, स०वि०स०	स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के द्वारा सदर अस्पताल एवं इसके नीचे के स्तर के स्वास्थ्य संस्थानों के रोगी कल्याण समिति का संशोधित दिशा-निर्देश 2024 का प्रकाशन किया गया है । उक्त शासी निकाय में स्थानीय विधायक को सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि स्थानीय विधायक को इस समिति का अध्यक्ष होना चाहिए । स्थानीय विधायक के प्रति लोगों की अपेक्षा अधिक रहती है । चूंकि विधायक जनता और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है । इस शासी निकाय में नगर निगम/नगर परिषद् एवं जिला परिषद् के पार्षदों को रखा गया है । रोगी कल्याण समिति में विधायक के रहने से स्थानीय कमियाँ एवं निगरानी भी सही ढ़ंग से हो सकेगी । साथ ही सरकार की योजनाओं का कार्यान्वयन भी शत-प्रतिशत हो सकेगा । अतएव लोकहित में रोगी कल्याण समिति के शासी निकाय में संशोधन करते हुए स्थानीय विधायक को उचित प्रतिनिधित्व देने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।''	स्वास्थ्य

2. श्री सुदामा प्रसाद, स०वि०स० श्री बीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, स०वि०स० श्री भाई वीरेन्द्र, स०वि०स० श्री शकील अहमद खाँ, स०वि०स०	"भोजपुर जिला मुख्यालय आरा से सटे जीरो माईल तीन मुहान से आगे केन्द्रीय विद्यालय के पास आरा-सासाराम स्टेट हाईवे लगभग आधा किलोमीटर जर्जर होकर गड्ढे में तब्दील हो गई है । गड्ढे में नालियों का गन्दा पानी भरे रहने के कारण नारकीय स्थिति बन गई है । प्रतिदिन यहाँ दुर्घटनाएँ होती रहती हैं और घण्टों महाजाम लगता है, जिसमें स्कूली बस, यात्री बस, एम्बुलेंस एवं पैदल यात्रियों के फँसने से परेशानी हो रही है । हर रोज इस रास्ते से लगभग 10,000 छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं । आरा बस स्टैण्ड से झारखण्ड राज्य के राँची, टाटा, बोकारो, धनबाद व बिहार के अरवल, औरंगाबाद, गया, रोहतास (सासाराम, डिहरी) जिलों के साथ ही पढ़ाई, व्यवसाय, कृषि एवं प्रशासनिक कार्य के लिए भोजपुर के सहार, संदेश, अगिआंव, उदवंतनगर, गड़हनी, चरपोखरी, पीरो, तरारी, जगदीशपुर प्रखंडों के सभी चट्टी बाजारों के लिए वाहन आते-जाते रहते हैं । अत: उक्त अतिमहत्वपूर्ण जर्जर सड़क एवं सड़क के दोनों ओर नालों का निर्माण कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।"	पथ निर्माण

राज कुमार
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-6/2024- 353 / वि०स०, पटना, दिनांक- 22 फरवरी, 2024 ई० ।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(संजीव कुमार)
अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-6/2024- 353 / वि०स०, पटना, दिनांक- 22 फरवरी, 2024 ई० ।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्य मंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमश: माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्य मंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(संजीव कुमार)
अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-6/2024- 353 / वि०स०, पटना, दिनांक- 22 फरवरी, 2024 ई० ।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / स्वास्थ्य विभाग तथा पथ निर्माण विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(संजीव कुमार)
अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-6/2024- 353 / वि०स०, पटना, दिनांक- 22 फरवरी, 2024 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

(संजीव कुमार)
अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।